रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 333] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3, 1981/आश्विन 11, 1903
No. 333] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 1981/ASVINA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1981

सा०का०नि० 549(अ)——केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (पंचम संशोधन) स्कीम, 1981 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में,—

(2) विद्यमान पैरा 68 ख के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् —

"68ख निवासगृह/फ्लैट के क्रय के लिये या किसी निवासगृह के संनिर्माण के लिये जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिये किसी उपयुक्त स्थल का अर्जन भी है, निधि से अग्रिम

(1) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी सदस्य के आवेदन को ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए और इस पैरा में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, सदस्य के नाम जमा में से—

(क) किसी निवासगृह/फ्लैट जिसके अन्तर्गत अन्यों के साथ किसी संयुक्त स्वामित्व के भवन में किसी फ्लैट के (पूर्ण रूप से या अवक्रय पर क्रय के लिए या किसी निवासगृह के संनिर्माण के लिये जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सहकारी सोसाइटी, किसी संस्था, किसी न्यास, किसी स्थानीय निकाय या किसी गृह निर्माण वित्तपोषण निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभिकरण कहा गया है) से उपयुक्त स्थल का अर्जन भी है, के लिए, या

(ख) किसी निवासगृह के संनिर्माण के प्रयोजन के लिये कोई निवास स्थल क्रय करने के लिए या किसी व्यष्टि से पहले से ही निर्मित निवासगृह/फ्लैट के किन्तु ऐसा गृह/फ्लैट जिसे क्रय किया जाना है जो नया और जिसमें निवास न किया गया हो क्रय करने के लिये, या

(ग) किसी सदस्य या ऐसे सदस्य के पति या पत्नी या सदस्य और पति या पत्नी के संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन किसी निवास स्थल पर निवासगृह के संनिर्माण के लिए, या ऐसे निवास स्थल पर पहले से ही सदस्य या उसके पति या उसके पति या पत्नी द्वारा आरम्भ किए गए किसी निवासगृह के संनिर्माण को पूरा करने या जारी रखने के लिए, रकम अग्रिम के रूप में मंजूर कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इस पैरा में 'गृहकारी सोसाइटी' पद से सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2—इस पैरा में किसी नए और निवास न किए गए गृह के तथ्य का अवधारण भवन के नक्शे के अनुमोदन के संख्यांक और जिसकी तारीख, गृह/फ्लैट के सन्निर्माण के प्रारम्भ और पूरा होने से संबंधित प्रमाणपत्रों और समुचित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कर बिलों तथा रसीदों के संदर्भ से और जहां कहीं भी आवश्यक हो पड़ोसियों से जांच पड़ताल करके किया जाएगा।

(2) अग्रिम की रकम, सदस्य की चौबीस मास की मूल मजदूरी और मंहगाई भत्ते से या पैरा 69 के उपपैरा (3) के अधीन अनुज्ञेय नियोजक द्वारा अभिदाय किए जाने वाले अंश सहित, स्वयं सदस्य के अभिदाय का अंश यदि सदस्य के संचय के प्राधिकरण की तारीख को अपना संचय उस पर ब्याज सहित प्रत्याहरण करने के लिए अनुज्ञात किया होता या निवास स्थल के अर्जन या निवास गृह/फ्लैट के क्रय या निवासगृह के सन्निर्माण के लिए वास्तविक लागत इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(3)(क) इस पैरा के अधीन कोई अग्रिम तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(i) सदस्य ने निधि की सदस्यता के पांच वर्ष पूरे नहीं कर लिए हैं ;

(ii) निधि में सदस्य के नाम जमा रकम में अभिदायों का उसका अपना अंश उस पर ब्याज सहित एक हजार रुपये से कम नहीं है ;

(iii) निवास स्थल या निवासगृह/फ्लैट या निर्माणाधीन गृह विल्लंगमों से मुक्त नहीं है :

परन्तु जहां कोई निवास स्थल या निवासगृह/फ्लैट उप पैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किन्हीं अभिकरणों के पास केवल निवासगृह/फ्लैट का क्रय करने या निवास गृह/फ्लैट के सन्निर्माण के लिये जिसके अन्तर्गत उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थल का अर्जन भी है धन प्राप्त करने के लिये बंधक रखा जाता है वहां, यथास्थिति, ऐसा निवासगृह/फ्लैट विल्लंगमित सम्पत्ति नहीं समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी निवासगृह/फ्लैट के सन्निर्माण के लिये शाश्वत पट्टे पर या 30 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए पट्टे पर अर्जित भूमि या इस प्रकार पट्टाकृत भूमि पर बना कोई निवासगृह/फ्लैट विल्लंगमित सम्पत्ति नहीं समझा जाएगा :

परन्तु यह और भी जहां निवासगृह/फ्लैट का स्थल उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण के नाम में धारित है और ऐसे अभिकरण द्वारा उसके पूर्वानुभोगन के बिना ऐसे आबंटिती को निवासगृह/फ्लैट का अन्तरण करने या अन्यथा व्ययन करने से प्रवारित किया जाता है वहां मात्र यह तथ्य कि अधिकरण के नाम में धारित गृह/फ्लैट या स्थल पर आबंटिती का स्वामित्व का संपूर्ण अधिकार नहीं है, उसे उपपैरा (1) के खंड (क) के अधीन अग्रिम दिए जाने से यदि इस पैरा में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा कर दिया जाता है, वर्जित नहीं करेगा।

(ख) संयुक्त स्वामित्व वाली किसी सम्पत्ति का क्रय करने या संयुक्त स्वामित्व वाले स्थल पर गृह सन्निर्माण करने के लिए, पति या पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व में स्थल को छोड़कर, कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जायगा।

(4) उपपैरा (2) में विहित निर्बन्धन के अधीन रहते हुए,

(क) जहां अग्रिम उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण से कोई निवासगृह/फ्लैट या निवास स्थल के क्रय के लिए है वहां अग्रिम का संदाय सदस्य को नहीं किया जायगा अपितु एक या अधिक किस्तों में जैसे भी सदस्य द्वारा प्राधिकृत की जाए, सीधे अधिकरण को ही किया जायगा ;

(ख) जहां अग्रिम किसी निवास गृह के सन्निर्माण के लिए है वहां वह इतनी किस्तों में मंजूर किया जायगा जितनी आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया जाए, उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी उचित समझता है ;

(ग) जहां अग्रिम किसी व्यष्टि या अभिकरण से किसी निवास स्थल के अर्जन के लिये है, वहां वह रकम ऐसी किस्तों में, जो बराबर की दो किस्तों से कम नहीं है पहली किस्त निवास स्थल का अर्जन करते समय और शेष ऐसे निवास स्थल पर निवासगृह का सन्निर्माण करते समय, उसके अनुरोध पर संदत्त की जाएगी।

(5) जहां कोई अग्रिम किसी निवासगृह के सन्निर्माण के लिए मंजूर किया जाता है वहां सन्निर्माण प्रत्याहरण की प्रथम किस्त से छह मास के भीतर प्रारंभ किया जायगा और प्रत्याहरण की अंतिम किस्त से बारह मास के भीतर उसे पूरा करना होगा। जहां कोई अग्रिम किसी निवासगृह/फ्लैट के क्रय के लिये या निवासस्थल के अर्जन के लिये मंजूर किया जाता है वहां, यथास्थिति, क्रय या अर्जन, रकम के प्रत्याहरण से छह मास के भीतर किया जाएगा ;

परन्तु यह उपबंध किसी निवासगृह/फ्लैट के अवक्रय पर क्रय की दशा में उन दशाओं में लागू नहीं होगा जहां निवास स्थल का अर्जन किया जाना है या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों के निमित्त गृहों का सन्निर्माण सदस्यों को आबंटन करने की दृष्टि से करना।

(6) उप-पैरा (7) में विनिर्दिष्ट दशाओं को छोड़कर इस पैरा के अधीन आगे कोई अग्रिम नहीं दिया जायगा।

(7) किसी सदस्य के या उसके पति या पत्नी के या सदस्य और पति या पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में किसी निवासगृह में परिवर्द्धनों बड़े पैमाने पर परिवर्तनों या सुधारों के लिये सदस्य को छह मास तक की मूल मजदूरी और मंहगाई भत्ते या निधि में उसके अभिदायों का अंश जमा रकम इनमें से जो भी कम हो, एक बार और केवल एक ही किस्त अतिरिक्त अग्रिम के रूप में मंजूर की जा सकेगी :

परन्तु यह कि अग्रिम, निवासगृह के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् ही अनुज्ञेय होगा।

(8) सदस्य हक-विलेख और ऐसी अन्य दस्तावेजें जो निरीक्षण के लिये अपेक्षित हों पेश करेगा जिन्हें अग्रिम मंजूर किए जाने के पश्चात् वापस कर दिया जायगा।

(9)(क) यदि इस पैरा के अधीन मंजूर किया गया अग्रिम जिस प्रयोजन के लिये वह मंजूर किया गया था, वास्तविक व्यय की गई रकम से अधिक है तो अधिक का किसी निवासगृह का यथास्थिति क्रय पूरा होने पर या सन्निर्माण पूरा होने पर या आवश्यक परिवर्धनों, परिवर्तनों या सुधारों के पूरा होने के तीस दिन के भीतर सदस्य द्वारा निधि में प्रतिसंदाय एकमुश्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के अंश के रूप में उक्त अंश में से मंजूर किए गए अग्रिम की सीमा तक, जमा की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो सदस्य के खाते में उसके अभिदायों के अंश में जमा किया जायगा।

(ख) सदस्य को किसी निवासस्थल/निवास गृह/फ्लैट आवंटित न किए जाने की दशा में या सदस्य का आवंटन रद्द किए जाने और उप-पैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा रकम का प्रतिसंदाय कर दिए जाने की दशा में या सदस्य द्वारा किसी निवास स्थल का अर्जन करने या निवास गृह फ्लैट का किसी व्यष्टि से क्रय करने या निवासगृह का सन्निर्माण कराने में असमर्थ होने की दशा में सदस्य इस पैरा के अधीन यथास्थिति उसे अग्रिम दी गई रकम का या उप-पैरा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिकरण को भेजी गई अग्रिम की रकम का निधि में एकमुश्त प्रतिसंदाय ऐसी रीति में करने का दायी होगा जो यथास्थिति आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया जाए उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी विनिर्दिष्ट करे।

इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के अंश के रूप में उस अंश में से मंजूर किए गए अग्रिम की सीमा तक जमा की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, सदस्य के खाते में उसके अभिदायों के अंश में जमा किया जायगा।

(10) यदि आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया जाए उसका अधीनस्थ किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस पैरा के अधीन मंजूर किए गए अग्रिम का उस प्रयोजन से जिसके लिये वह मंजूर किया गया था भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किया गया है या सदस्य ने आवंटन स्वीकार करने से या निवास गृह का अर्जन करने से इंकार कर दिया था या अग्रिम की शर्तें पूरी नहीं की गई हैं या ऐसी युक्तियुक्त आशंका है कि वे पूर्णतया/या भागतः पूरी नहीं की जाएंगी या कि उप-पैरा (9) के खंड (क) के निबंधनों के अनुसार अधिक रकम का प्रतिसंदाय नहीं किया जाएगा या उपपैरा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा सदस्य को वापस भेजी गई रकम का उप पैरा (9) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार प्रतिसंदाय नहीं किया जायगा तो आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया जाए उसका अधीनस्थ अधिकारी सदस्य की मजदूरी से शोध्य रकम और उस पर दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर शास्तिक ब्याज सहित शोध्य रकम की, उतनी किस्तों में जो आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया जाए उसका अधीनस्थ अधिकारी अवधारित करे, कटौती करने के लिये तुरन्त कदम उठाएगा। ऐसी वसूली के प्रयोजन के लिये आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत उसका अधीनस्थ अधिकारी नियोजक को सदस्य की मजदूरी से ऐसी किस्त की कटौती करने के लिये निदेश दे सकेगा और ऐसे निदेश प्राप्त होने पर नियोजक तदनुसार कटौती करेगा। इस प्रकार कटौती की गई रकम नियोजक द्वारा आयुक्त को या जहां आयुक्त द्वारा ऐसे प्राधिकृत किया जाए उसके अधीनस्थ अधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में प्रेषित की जाएगी जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए। शास्तिक ब्याज को छोड़कर इस प्रकार प्रतिसंदत्त रकम निधि में सदस्य के खाते में नियोजक के अभिदायों के अंश में उक्त अंश में से मंजूर किए गए अग्रिम की सीमा तक, जमा की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, सदस्य के खाते में उसके अपने अभिदायों के अंश में जमा की जाएगी। शास्तिक का ब्याज की रकम ब्याज उचंत खाते में जमा की जाएगी।

(11) जहां इस पैरा के अधीन मंजूर किए गए अग्रिम का सदस्य द्वारा दुरुपयोग किया गया है वहां इस पैरा के अधीन उक्त अग्रिम मंजूर करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या उक्त अग्रिम की रकम की उस पर शास्तिक ब्याज सहित पूरी वसूली की तारीख तक इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो और अग्रिम मंजूर नहीं किया जायेगा।"

(2) विद्यमान पैरा 68–ग हटा दिया जायगा।

(3) विद्यमान पैरा 68–घ के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जायगा अर्थात् :—

"68घ. निधि में से अग्रिम का अप्रतिसंदेय होना : जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय पैरा 68ख और 68खख के अधीन दिए गए अग्रिम अप्रतिसंदेय होंगे।"

(4) विद्यमान पैरा 68ङ के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"68ङ. सदस्यता की अवधि की संगणना : किसी सदस्य की पैरा 68ख, 68खख और 68ट के अधीन सदस्यता की अवधि की संगणना करने में इस स्कीम के उसे लागू होने के पूर्व उसी नियोजक या कारखाने/स्थापन के अधीन व्यवधान की अवधि को छोड़कर उसकी कुल सेवा और उसकी सदस्यता की अवधि चाहे वह यथास्थिति निधि या छूट प्राप्त कारखानों/स्थापनों की प्राइवेट भविष्यनिधि या चालू सदस्यता के ठीक पूर्व की पैरा 27 या पैरा 27क के अधीन छूट प्राप्त कर्मचारी के रूप में अवधि है, सम्मिलित की जाएगी :

परन्तु यह कि सदस्य ऐसी अवधि के दौरान अपनी भविष्य निधि का प्रत्याहरण करके सदस्यता से पृथक नहीं हो गया है :

(5) विद्यमान पैरा 68च से 68छ हटा दिया जाएगा।

[सं० एस० 70012/(8)/81पी०एफ०II]

नवीन चावला, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1981

G.S.R. 549(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1 (1) This scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,

(1) for the existing paragraph 68B, the following paragraph shall be substituted :—

"68B Advance from the Fund for the purchase of a dwelling house/flat or for the construction of a dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose ;

(1) The Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may on an application from a member in such form as may be prescribed and subject to the conditions prescribed in this paragraph sanction from the amount standing to the credit of the member in the Fund, an advance—

(a) for purchasing a dwelling house/flat, including a flat in a building owned jointly with others (out-right or on hire purchase basis), or for constructing dwelling house including the acquisition of a suitable site for the purpose from the Central Government, the State Government, a cooperative society, an institution, a trust, a local body or a Housing Finance Corporation (hereinafter referred to as the agency/agencies);

OR

(b) for purchasing a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house or a ready-built dwelling house/flat from any individual provided the said house/flat to be purchased is new and unlived one ;

OR

(c) for the construction of a dwelling house on a site owned by the member or the spouse of the member or jointly by the member and the spouse, or for completing|continuing the construction of a dwelling house already commenced by the member or the spouse, on such site.

Explanation 1: In this paragraph, the expansion, 'cooperative society' means a society registered or deemed to be registered under the Cooprative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or under any other law for the time being in force in any State relating to co-operative societies.

Explanation 2 : In this paragraph, the fact of a new and unlived in house|flat shall be determined with reference to the certificates relating to the number and date of approval of the building plan, the date of commencement and completion of the house|flat, and the tax bills and receipts issued by the appropriate authorities, and wherever necessary, by neighbourhood enquired.

(2) The amount of advance shall not exceed the member's basic wages and dearness allowance for twenty four months or the member's own share of contributions, together with that amount of the employer's share of contributions admissible under sub-paragraph (3) of paragraph 69, had the member been allowed to withdraw his accumulations on the date of authorisation of payment with interest thereon or the actual cost towards the acquisition of the dwelling site or the purchase of the dwelling house|flat or the construction of the dwelling house, whichever is the least.

(3) (a) No advance under this paragraph shall be granted unless :

(i) the member has completed five years' membership of the Fund ;

(ii) the member's own share of contributions with interest thereon in the amount standing to his credit in the Fund is not less than one thousand rupees ;

(iii) the dwelling site or the dwelling house|flat or the house under construction is free from encumbrances:

Provided that where a dwelling site or a dwelling house|flat is mortgaged to any of the agencies, referred to in clause (a) of sub-paragraph (1), solely for having obtained funds for the purchase of a dwelling house|flat or for the construction of a dwelling house including the requisition of a suitable site for the purpose, such a dwelling site or a dwelling house|flat as the case may be shall not be deemed to be an encumbered property :

Provided further that a land acquired on a perpetual lease or on lease for a period of not less than 30 years for constructing a dwelling house|flat, or a house|flat built on such a leased land, shall also not be deemed to be an encumbered property.

Provided also that where the site of the dwelling house|flat is held in the name of any agency, referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) and the allottee is precluded from transferring or otherwise disposing of, the house|flat, without the prior approval of such agency, the more fact that the allottee does not have absolute right of ownership of the houseflat and the site is held in the name of the agency, shall not be a bar to the giving of an advance under clause (a) of sub-paragraph (1), if the other conditions mentioned in this paragraph are satisfied.

(b) No advance shall be granted for purchasing a share in a joint property or for constructing a house on a site owned jointly except on a site owned jointly with the spouse.

(4) Subject to the limitation prescribed in sub-paragraph (2)—

(a) where the advance is for the purchase of a dwelling house|flat or a dwelling site from an agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1), the payment of advance shall not be made to the member but shall be made direct to the agency in one or more instruments, as may be authorised by the member ;

(b) where the advance is for the construction of a dwelling house, it may be sanctioned in such number of instalments as the Commissioner or where so authorised by the Commissioner, any officer, subordinate to him, thinks fit.

(c) where the advance is for the acquisition of a dwelling site for the purpose of construction of a dwelling house thereon from any individual or any agency, the amount shall be paid in not less than two equal instalments, the first instalment at the time of the acquisition of the dwelling site and be remaining at his request at the time of the construction of a dwelling house on such dwelling site.

(5) Where an advance is sanctioned for the construction of a dwelling house, the construction shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within twelve months of the withdrawal of the final instalments. Where the advance is sanctioned for the purchase of a dwelling house|flat or for the acquisition of a dwelling site, the purchase or acquisition, as the case may be, shall be completed within six months of the withdrawal of the amount :

Provided that this provision shall not be applicable in case of purchase of a dwelling house|flat or hire-purchase basis and in cases where a dwelling site is to be acquired or houses are to be constructed by a cooperative society on behalf of its members with a view to their allotment to the members.

(6) Except in the cases specified in sub-paragraph (7), no further advance shall be admissible to a member under this paragraph.

(7) An additional advance upto six months' basic wages and dearness allowance or the member's own share of contributions with interest thereon, in the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, may be granted once and in one instalment only, for additions, substantial alternations or improvements necessary to the dwelling house owned by the member or by the spouse or jointly by the member and the spouse :

Provided that the advance shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house

(8) The member shall produce the title deed and such other documents as may be required for inspection which shall be returned to the member after the grant of advance.

(9) (a) If the advance granted under this paragraph exceeds the amount actually spent for the purpose for which it was sanctioned, the excess amount shall be refunded by the member to the Fund in one lump sum within thirty days of the finalisation of the purchase, or the completion of the construction of, or necessary additions, alterations or improvements to a dwelling house, as the case may be. The amount so refunded shall be credited to the employers share of contributions in the member's account in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance, if any, shall be credited to the member's share of contributions in his account.

(b) In the event of the member not having been allotted a dwelling site|dwelling house|flat, or in the event of the cancellation of an allotment made to the member and of the refund of the amount by the agency, referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) or in the event of the member not being able to acquire the dwelling site or to purchase the dwelling house|flat from any individual or to construct the dwelling house, the member shall be liable to refund to the Fund in one lump sum and in such manner as may be specified by the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, the amount of advance remitted under this paragraph to him or, as the case may be, to the agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1).

The amount so refunded shall be credited to the employer's share of contributions in the member's account in the Fund, to the extent of advance granted out of the said share, and the balance if any shall be credited to the member's own share of contributions in his account

(10) If the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him is satisfied that the advance granted under this paragraph has been utilised for a purpose other than that for which it was granted or that the member refused to accept an allotment or to acquire a dwelling site or that the conditions of advances have not been fulfilled or that there is reasonable apprehension that they will not be fulfilled wholly or partly; or that the excess amount will not be refunded in terms of clause (a) of sub-paragraph (9) or that the amount remitted back to the member by any agency referred to in clause (a) of sub-paragraph (1), will not be refunded in terms of clause (b) of sub-paragraph (9), the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, shall forthwith take steps to recover the amount due with penal interest thereon at the rate of two per cent per annum from the wages of the member in such number of instalments as the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may determine. For the purpose of such recovery the Commissioner or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him may direct the employer to deduct such instalment from the wages of the member and on receipt of such direction, the employer shall deduct accordingly. The amount so deducted, shall be remitted by the employer to the Commissioner, or where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him within such time and in such manner as may be specified in the direction. The amount so refunded, excluding the penal interest, shall be credited to the employer's share of contributions in the member's amount in the Fund to the extent of advance granted out of the said share and the balance if any shall be credited to the member's own share of contributions in his account. The amount of penal interest shall however, be credited to the Interest Suspense Account.

(11) Where any advance granted under this paragraph has been misused by the member, no further advance shall be granted to him under this paragraph within a period of three years from the date of grant of the said advance or till the full recovery of the amount of the said advance, with penal interest thereon, whichever is latter."

(2) The existing paragraph 68-C shall be deleted;

(3) for the existing paragraph 68-D, the following paragraph shall be substituted :—

"68-D—Advance from the Fund to be non-refundable : Except as otherwise provided the advances given under paragraph 68B and 68BB shall be non-refundable";

(4) for the existing paragraph 68-E, the following paragraph shall be substituted :—

"68-E.—Computation of period of membership : In computing the period of membership of the Fund of a member under paragraphs 68B, 68BB and 68K, his total service exclusive of periods of breaks under the same employer or factory|establishment before this scheme applied to him, as well as the periods of his membership, whether of the Fund or of private provident fund of exempted factories|establishments or as an employee exempted under paragraph 27 or 27A as the case may be, immediately preceding the current membership of the Fund, shall be included :

Provided that the member has not severed his membership by withdrawal of his provident fund during such period";

(5) The existing paragraphs 68F to 68GG shall be deleted.

[No. S 70012|8|81-PF. II]

N. B. CHAWLA, Dy. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981